

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०- पि०व०/मु० मेधा०-40-07/2015- 227

पटना, दिनांक- 3/2/26

संकल्प

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रू० 1,50,000/- मात्र को बढ़ाकर रू० 3,00,000/- मात्र किये जाने एवं योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 1,17,98,40,000/- (रू० एक सौ सत्रह करोड़ अठानवे लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या-1171, दिनांक-15.05.2015 द्वारा राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू० 1,50,000/- (रूपए एक लाख पचास हजार) मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र रू० 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

2. उपर्युक्त आय अधिसीमा का निर्धारण योजना प्रारंभ करने के समय में अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं में लागू आय अधिसीमा के अनुरूप किया गया था। बाद के वर्षों में अन्य योजनाओं के तहत वार्षिक आय अधिसीमा को बढ़ाया गया है। दस वर्ष पूर्व में निर्धारित वार्षिक आय अधिसीमा (रू० 1.50 लाख), वर्तमान में बढ़ती महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कम रहने के कारण मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के कई मरीब छात्र योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रू० 1,50,000/- मात्र को बढ़ाकर रू० 3,00,000/- मात्र किये जाने एवं योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 1,17,98,40,000/- (रू० एक सौ सत्रह करोड़ अठानवे लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. बजट शीर्ष-

राज्य स्कीम मांग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-3402-प्रोत्साहन विपत्र कोड-11- 2225032770101 के तहत भारित होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-29.01.2026 में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03/02/26
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/ मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/ मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/ मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/26
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/ मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/ मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् के बैठक के मद संख्या-11 दिनांक-29.01.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/26
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/ मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/26
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/ मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/02/26
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0 / मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/माननीया मंत्री के आप्त
सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-पि0व0 / मु0 मेधा0-40-07/2015- 227 पटना, दिनांक- 3/2/26
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

505/02/26
अपर मुख्य सचिव।

505/02/26
अपर मुख्य सचिव।